दिनांक

28.2.25 पत्रावली पेशी हेतु रखी आज पेश हुई। वकील वादी उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि 29.5.24 प्रस्तुत हो चुका है जो आज प्रार्थना पत्र है। कारण उपस्थित रहा वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा [illegible] एक प्रस्तुत स्टेटमेंट के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई।

न .... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन [illegible] किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] द्वारा प्रस्तुत [illegible] के आधार पर वाद, वादी को स्वीकार योग्य प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी घोषित किया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 169/2022

तारीख दायरा 27.12.2022

उनवान

उर्मिला नागर उर्फ कालीबाई पुत्री प्रताप पत्नी जगन्नाथ जाति धाकड निवासीनी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद हाल निवासीनी खेम जी कोलोनी बपावर रोड सांगोद कोटा। – वादीनी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद तहसील सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :–28.2.2025

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम दीगोद तहसील सांगोद में खाता संख्या नई 20 पुरानी 18 की ख.न. 932 की 1.75 है., ख.न. 933 की 1.75 है., ख.न. 934 की 1.55 है., ख.न. 935 की 2.40 है., ख.न. 936 की 0.55 है., कुल किता 5 की कुल 8.00 है. आराजीयात स्थित है जिसमें वादीनी का नाम कालीबाई पुत्री प्रताप दर्ज है। वादीनी को बचपन में कालीबाई भी कहते थे, किन्तु वादीनी के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि सभी दस्तावेज में उर्मिला नागर नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अतः वाद पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित करवाई जावे कि वाद पत्र में अंकित माल ग्राम दीगोद तहसील सांगोद में खाता संख्या नई 20 पुरानी 18 की ख.न. 932 की 1.75 है., ख.न. 933 की 1.75 है., ख.न. 934 की 1.55 है., ख.न. 935 की 2.40 है., ख.न. 936 की 0.55 है., कुल किता 5 की कुल 8.00 है. आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम कालीबाई पुत्री प्रताप के स्थान पर उर्मिला नागर पुत्र प्रताप दर्ज किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावे।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक 173 दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीनी को कालीबाई नाम से जाना जाता है परन्तु वादीनी के दस्तावेजों में उर्मिला नागर नाम अंकित है। तहसीलदार सांगोद द्वारा वाद वादीनी स्वीकार करने के उपरान्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं होने पर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा स्वयं वादीनी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरान्त वकील वादी द्वारा एकपक्षीय बहस की गई, बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यों को दौहराया गया तथा वाद पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

–: आदेश :–

उपरोक्तानुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन, अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहा। वाद वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होने के कारण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम दीगोद तहसील सांगोद में स्थित आराजी खाता संख्या नई 20 पुरानी 18 की ख.न. 932 की 1.75 है., ख.न. 933 की 1.75 है., ख.न. 934 की 1.55 है., ख.न. 935 की 2.40 है., ख.न. 936 की 0.55 है., कुल किता 5 की कुल 8.00 है. आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीनी के नाम कालीबाई पुत्री प्रताप के स्थान पर उर्मिला नागर पुत्री प्रताप दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी में वादी के हिस्से पर रहन भार होने की स्थिति में रहन

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

यथावत रहेगा। रहन अदा करने का समस्त भार वादी का रहेगा, नाम दुरुस्ती के बाद भी वादी की रहनकार की दैयता यथावत रहेगी। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28.2.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner